न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भूअभिलेख अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : मनोज मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 131 / 2020
GCMS:- 2020/00351

प्रस्तुति दिनांकः– 13/10/2020

माधू उर्फ मागू खां पुत्र श्री वालिया उर्फ वली मोहम्मद जाति मुसलमान राठ निवासी करडू तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0 ......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र नाम दुरूस्ती हेतु ।
अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्रीमान तहसीलदार (अप्रार्थी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) श्रीगंगानगर

निर्णय

दिनांकः– 13/10/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के ग्रांम करडू खाता नं0 304/482 ख0न0 538/2.124 है0, 539/3.035 है0 कुल 5.159 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 की सत्यप्रतिलिपि शामिल पत्रावली है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **मागू खां** के स्थान पर **माधू** एवं पिता का **वली मोहम्मद** के स्थान पर **वालिया** दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम **मागू खां** एवं पिता का नाम **वली मोहम्मद** दर्ज हैं। जिनकी प्रति शामिल पत्रावली है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **माधू पुत्र श्री वालिया** व पहचान के दस्तावेजो में नाम **मागू खां पुत्र श्री वली मोहम्मद** दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रहा हैं ओर साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। प्रार्थी द्वारा अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु कई बार तहसील परिसर के चक्कर लगा चुका है। परन्तु हर बार प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियो द्वारा सक्षम अदालत में जाने का कहकर प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया जा रहा है।

प्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति हैं, कानून की जानकारी नही होने के कारण नाम दुरूस्त करवाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जबकि उक्त नाम मागू उर्फ माधू पिता का नाम वालिया उर्फ वली मोहम्मद नाम का एक ही व्यक्ति ग्राम करडू में निवास कर रहा है। इस नाम का कोई दुसरा व्यक्ति इस ग्राम में नही है। बतौर साक्ष्य सरपंच ग्राम पंचायत करडू रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 व परिवार के सदस्यो का शपथ पत्र एवं स्वयं का शपथ पत्र शामिल पत्रावली है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड ग्रांम करडू खाता नं0 304/482 ख0न0 538/2.124 है0, 539/3.035 है0 कुल 5.159 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी अपना नाम **माधू के** स्थान पर **माधू उर्फ मागू खां व पिता का नाम वालिया के स्थान पर वालिया उर्फ वली मोहम्मद** दर्ज करवाना चाहता हैं।

..............................लगातार 2 पर

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:27:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जंमाबदी तहसील सूरतगढ के ग्रांम करडू खाता नं0 304/482 ख0न0 538/2.124 है0, 539/3.035 है0 कुल 5.159 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम **माधू उर्फ मागू खां व पिता का नाम वालिया के स्थान पर वालिया उर्फ वली मोहम्मद** दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र परस्तुत होने पर दिनांक 07.08.2020 को मूल प्रार्थना पत्र प्रेषित कर तहसील की रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.08.2020 को रिपोर्ट की गई। बाद रिपोर्ट दिनांक 04.09.2020 को तहसीलदार सूरतगढ द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु मूल प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को लौटाया गया। जो दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज होने पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के ग्रांम करडू खाता नं0 304/482 ख0न0 538/2.124 है0, 539/3.035 है0 कुल 5.159 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। प्रार्थी के खातेदारी भूमि रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **मागू खां** के स्थान पर **माधू** एवं पिता का **वली मोहम्मद** के स्थान पर **वालिया** दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम **मागू खां** एवं पिता का नाम **वली मोहम्मद** दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **माधू पुत्र श्री वालिया** व पहचान के दस्तावेजो में नाम **मागू खां पुत्र श्री वली मोहम्मद** दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रहा हैं और साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है।

प्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति हैं, कानून की जानकारी नही होने के कारण नाम दुरूस्त करवाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जबकि उक्त नाम मागू उर्फ माधू पिता का नाम वालिया उर्फ वली मोहम्मद नाम का एक ही व्यक्ति ग्राम करडू में निवास कर रहा है। इस नाम का कोई दुसरा व्यक्ति इस ग्रांम में नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जंमाबदी तहसील सूरतगढ के ग्रांम करडू खाता नं0 304/482 ख0न0 538/2.124 है0, 539/3.035 है0 कुल 5.159 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम **माधू उर्फ मागू खां व पिता का नाम वालिया के स्थान पर वालिया उर्फ वली मोहम्मद** दर्ज किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल पत्रावली दस्तावेजो व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन से पूर्णतया साबित हैं कि **माधू उर्फ मागू खां व पिता का नाम वालिया के स्थान पर वालिया उर्फ वली मोहम्मद** दोनो एक ही व्यक्ति है। जिसे प्रार्थी द्वारा अपने शपथ पत्र व परिवार के सदस्यो के शपथ पत्र तथा ग्रांम पंचायत की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित किया है एवं तहसील रिपोर्ट में भी नाम दुरूस्त करने की अनुशषा की गई है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता हैं ग्रांम करडू खाता नं0 304/482 ख0न0 538/2.124 है0, 539/3.035 है0 कुल 5.159 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम माधू के स्थान पर **माधू उर्फ मागू खां व पिता का नाम वालिया के स्थान पर वालिया उर्फ वली मोहम्मद** दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिये जाते हैं। आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:27:50 IST
Reason: SelfAttested